भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3677

(सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

एनसीएलटी के समक्ष लंबित मामले

3677. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष काफी समय से लंबित मामलों की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो लंबित मामलों की वर्ष-वार और क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार समाधान और वसूली में विलंब से उत्पन्न निवेशकों की चिंताओं को समझती है;
(घ) एनसीएलटी के कार्यकरण को सुदृढ़ करने और निवेशकों के विश्वास में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या समयबद्ध समाधान के लिए कोई सुधार अथवा जवाबदेही उपाय प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। एनसीएलटी में लंबित मामलों की संख्या प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, अंतरिम आवेदनों (आईए) की संख्या, कई मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन, हितधारकों के सहयोग आदि पर निर्भर करती है। एनसीएलटी में लंबित मामलों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार लंबित मामले
2016-2017	6,256
2017-2018	10,426
2018-2019	16,643
2019-2020	21,532
2020-2021	20,654
2021-2022	21,312
2022-2023	21,424
2023-2024	19,793
2024-2025	14,961

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) और समापन के तहत जारी मामलों का क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।

(ग) से (ङ) शीघ्र निपटान को सुगम बनाने के लिए, सरकार निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठा रही है, जिसमें ई-न्यायालय और हाइब्रिड न्यायालय परियोजना का कार्यान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए नियमित संगोष्ठी, अवसंरचना का प्रावधान, रिक्तियों को भरना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) में छह विधायी संशोधन किए हैं और दिवाला समाधान ढांचे को मजबूत करने और प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना के बाद से नियमों में 100 से अधिक संशोधन किए हैं।

*****

अनुलग्नक

31/03/2025 तक चल रहे सीआईआरपी मामलों का क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	मामलों की संख्या
निर्माण	288
बिजली और अन्य	38
होटल और रेस्तरां	34
विनिर्माण	538
रियल एस्टेट, किराए और व्यावसायिक गतिविधियाँ	510
परिवहन, भंडारण और संचार	56
थोक और खुदरा व्यापार	196
अन्य	266
कुल	**1926**

31/03/2025 तक चल रहे परिसमापन मामलों का क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	मामलों की संख्या
निर्माण	147
बिजली और अन्य	44
होटल और रेस्तरां	25
विनिर्माण	522
रियल एस्टेट, किराए और व्यावसायिक गतिविधियाँ	247
परिवहन, भंडारण और संचार	52
थोक और खुदरा व्यापार	168
अन्य	179
कुल	**1384**